न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
13/2017	02.05.2017	**04.01.2018**

उनवान

1 मौजीराम उर्फ करनैल सिंह
2 हनुमान उर्फ मानसिंह पुत्रान किशन सहाय जाति गुर्जर निवासी खरोला तह0 किशनगढ–बास जिला अलवर

–: प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

–: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– **04.01.2018**

उपस्थिति :–

1– श्री राजेश कुमार, वकील प्रार्थी

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये, सुना गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 462 रकबा 1.05 है0, 419 रकबा 0.78 है0, 606 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर में स्थित होकर मुताबिक जमाबन्दी हम प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। मौके पर हम प्रार्थीगण का वास्तविक कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादी सं0 01 का नाम ख0नं0 606 में मौजी दर्ज तथा ख0नं0 419 में करनैल सिंह दर्ज है एवं मिन वादी सं0 02 का नाम ख0नं0 606 व 419 में मानसिंह दर्ज है। जबकि मिन वादी सं0 01 का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र में मौजीराम है तथा मिन वादी सं0 02 का आधार कार्ड, पहचान पत्र में हनुमान दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं0 01 का नाम कहीं मौजीराम दर्ज है, कहीं करनैल सिंह दर्ज है तथा मिन वादी सं0 02 का नाम कहीं हनुमान सिंह दर्ज है, कहीं मानसिंह दर्ज है। जिससे हम वादीगण का नाम रिकॉर्ड मे अलग–अलग होने से किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य कार्य में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन अप्रार्थी प्रतिवादी से करने पर दिनांक 07.01.2017 को इन्कार कर श्रीमान से आदेश लाने बाबत कहा जाने पर प्रार्थना पत्र दायर करना लाजिम आया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त विवादित आराजी में वादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

सं0 01 का नाम मौजीराम उर्फ करनेल सिंह पुत्र किशन सहाय व हनुमान उर्फ मानसिंह पुत्र किशन सहाय दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, मुण्डावर से मुताबिक प्रार्थना पत्र रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार, मुण्डावर द्वारा जरिये पत्रांक 5586 दिनांक 28.11.2017 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक रिपोर्ट मौजीराम और करनेल सिंह एक ही व्यक्ति है तथा हनुमान और मानसिंह एक ही व्यक्ति होना तहसीलदार, मुण्डावर ने अपनी रिपोर्ट अंकित किया है।

वकील प्रार्थी को सुना गया, जिसमें दौराने बहस प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए वकील प्रार्थी ने मौजीराम उर्फ करनेल सिंह व हनुमान उर्फ मानसिंह को दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के गहनता से अध्ययन उपरान्त यह न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं हाल आ0ख0नं0 462 रकबा 1.05 है0, 419 रकबा 0.78 है0, 606 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम रसगण तहसील मुण्डावर में अंकित दर्ज रिकॉर्ड में प्रार्थी सं0 01 का नाम मौजीराम उर्फ करनेल सिंह पुत्र किशन सहाय व प्रार्थी सं0 02 हनुमान उर्फ मानसिंह पुत्र किशन सहाय दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार, मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(महेश चन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner